(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–दतिया

II/निगरानी/दतिया/भू.रा./2017/4062

श्रीमती जसोदा देवी पत्नी श्री विजयसिंह विश्वकर्मा (बढाई), निवासी ग्राम डोंगरपुर, तहसील व जिला– दतिया (म.प्र.)

––आवेदिका

विरूद्ध

1– श्रीमती पार्वती पुत्री स्व0 श्री झण्डू पत्नी श्री लुट्टन सिंह बढाई, निवासी – ग्राम व पोस्ट दुर्गापुर, तहसील व जिला–दतिया (म.प्र.)

2– श्रीमती रामकली पुत्री स्व. श्री झण्डू पत्नी श्री पूरनसिंह बढाई, निवासी ग्राम सरसई, हाल निवास– बडागांव गेट बाहर, झाँसी (उ.प्र.)

3– राजू पुत्र श्री झण्डू बढाई, निवासी – ग्राम डोंगरपुर तहसील व जिला–दतिया (म.प्र.) हाल निवास– ज्योतीपुंज स्कूल के पास, गोलू अग्रवाल का मकान, रामनगर कॉलोनी, दतिया (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 30.10.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

10-11-17

30/10/17

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.10.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम पंचायत डोंगरपुर के पंचायत की पंजी क्रमांक 36 पर पारित आदेश दिनांक 02.10.2002 आवेदिका के पक्ष में विधिवत इश्तहार का प्रकाशन पर ग्रामवासियों से आपत्तियाँ आमंत्रित कर नामान्तरण आदेश पारित किया गया था। जिसकी जानकारी अनावेदकगण को विधिवत रूप से आदेश दिनांक से निरंतर रही है, किन्तु उनके द्वारा उक्त आदेश की प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, दतिया के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 21/2016–17 अत्यधिक अवधि वाह्य अर्थात् 14 वर्ष 2 माह बाद प्रस्तुत की गयी थीं, जो किसी भी स्थिति में प्रचलन योग्य ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में जो कार्यवाही एवं आदेश अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, विवादित भूमि स्वर्गीय झण्डू की स्वअर्जित सम्पत्ति थी तथा झण्डू की मृत्यु के बाद पत्नी ...... के नाम समान भाग पर नामान्तरण हुआ, जिसकी जानकारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी / दतिया / भू0रा0 / 2017 / 4062

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-12-18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी दतिया के प्रकरण कमांक 21 / 16–17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 17–10–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य नही रहीं है। तद्नुसार आवेदक सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु वापिस ले सकता है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है। सदस्य	